नई पर्यटन इकाई नीति जल्द लागू होगी : दिया कुमारी

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शासन सचिव पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा पुरातत्व रवि जैन की उपस्थिति में गुरुवार को पर्यटन भवन में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु पर्यटन विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं, अन्य घोषणाओं, "राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 (9 से 11 दिसम्बर) के आयोजन से पूर्व 8 अक्टूबर को जयपुर में आयोजित होने वाली प्री-समिट में पर्यटन विभाग की भूमिका के निर्वहन की कार्ययोजना पर चर्चा तथा पर्यटन विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

दिया कुमारी ने बैठक पश्चात मीडिया से बात करते हुए कहा कि "राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन से पूर्व 8 अक्टूबर को जयपुर में आयोजित होने वाली प्री-समिट में आने वाले स्टेकहोल्डर्स को बताएंगे कि राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में अपार सम्भवनाएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उक्त समिट में राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के कई एमओयू किये जा सकेंगे। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि आज बैठक में राजस्थान की नई पर्यटन (यूनिट पॉलिसी) इकाई नीति पर चर्चा की गई है। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसे जल्दी ही राज्य में लागू किया जाएगा।

> ■ 'स्टेकहोल्डर्स को बताएंगे कि राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में अपार सम्भवनाएं हैं'

दिया कुमारी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में नम्बर एक राज्य बनाएं। राजस्थान में पर्यटन के विभिन्न अवसर हैं। हम राजस्थान में पर्यटन का बेहतरीन माहौल तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं। ताकि यहां अधिक से अधिक संख्या में पर्यटक आएं। चाहे पर्यटक वेडिंग के लिए राजस्थान आएं चाहे रूरल ट्यूरिज्म के लिए आएं, चाहे इको ट्यूरिस्म के लिए आएं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ ट्यूरिस्म लिए आएं या फिर घूमने फिरने के लिए आएं। हम चाहते हैं कि राजस्थान आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को शानदार पर्यटन अनुभव मिले। उन्हें यहां सभी आवश्यक और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिले, सुरक्षा मिले, सफाई मिले इसके लिए काम किया जा रहा है। जयपुर शहर की चार दिवारी की विरासत को संरक्षण और यहां पर्यटन विकास के लिए मैंने अभी पिछले दिनों दौरा भी किया है। हम यूडीएच, विद्युत विभाग तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय से जयपुर और राजस्थान में पर्यटन की बेहतरीन सुविधाएं विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं।

बैठक में पर्यटन आयुक्त विजय पाल सिंह, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा, निदेशक पुरातत्व विभाग पंकज धरेन्द्र, अतिरिक्त निदेशक पर्यटन राकेश शर्मा, अतिरिक्त निदेशक आनंद त्रिपाठी संयुक्त निदेशक (निवेश) पवन कुमार जैन तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मदन राठौड़ ने दी घर-घर दस्तक

जयपुर। भाजपा के देश भर में चल रहे सदस्यता महाअभियान के तहत आज भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जयपुर हैरिटेज निगम के वार्ड 92 के 115 नंबर बूथ पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ घर-घर दस्तक देकर सदस्यता ग्रहण करवाई।

उन्होंने क्षेत्रवासियों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा वैचारिक अधिष्ठान के लिए काम करने वाला एक मात्र राजनैतिक दल है, जिसका ध्येय है समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को विकास की यात्रा में भागीदार बनाकर समर्थ और समृद्ध समाज की रचना हो सके। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार के कार्यकाल के सौ दिन में किए गए कल्याणकारी कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि विपक्ष केवल देश को बदनाम करने और मोदी को गाली देने में व्यस्त है वहीं प्रधानमंत्री लोक कल्याण के लिए 15 लाख करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति देकर अपने संकल्प की पूर्ति में जुटे हैं।

विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपनाएं सुरक्षा उपाय : हीरालाल नागर

जयपुर । ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विद्युत सुरक्षा कार्यों को गति देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि बिजली के ट्रांसफॉर्मर खुले न छोड़े जाएं और फेंसिंग (सुरक्षा दीवार) आदि उपाय अपनाएं। इससे विद्युत दुर्घटनाओं तथा उनसे होने वाली जनहानि को कम किया जा सकेगा।

नागर गुरूवार को सीकर रोड खेतान हॉस्पीटल के पास जयपुर सिटी नॉर्थ सर्किल क्षेत्र में वितरण ट्रांसफॉर्मरों, रिंगमैन यूनिट एवं डिस्ट्रिब्यूशन पिलर्स पर फेंसिंग एवं ग्रेवलिंग के काम का अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वृत्त के 21 वितरण ट्रांसफॉर्मरों पर विद्युत सुरक्षा के दृष्टिगत एफआरपी मेटेरियल की कुचालक जाली द्वारा फेंसिंग कर इसे एक मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। उन्होंने परीक्षण कर अधिकारियों को इसे प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने जयपुर सिटी सर्किल नॉर्थ के मुरलीपुरा सब डिवीजन कार्यालय का निरीक्षण किया और यहां पौधारोपण भी किया।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने गुरूवार को जयपुर सिटी सर्किल नॉर्थ में हुए विद्युत सुरक्षा कार्यों का अवलोकन किया।

जयपुर सिटी नॉर्थ सर्किल के अधीक्षण अभियंता अशोक रावत ने बताया कि सीकर रोड चौमूं पुलिया से रोड नम्बर 14 तक डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफॉर्मर व अन्य विद्युत उपकरणों की लोहे की जाली के स्थान पर यह फैंसिंग की गई है। साथ ही, जल भराव की संभावना वाले सभी स्थानों पर आरएमयू, पिलर बॉक्स तथा 176 डिस्ट्रिब्यूशन बॉक्स की फाउंडेशन को जमीन के स्तर पर पक्की ईंटों द्वारा उठाया गया है। सभी विद्युत उपकरणों की आवश्यकता के अनुसार पुनः अर्थिंग भी की गई है। इससे विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिलेगी। इस दौरान जयपुर डिस्कॉम के तकनीकी निदेशक एस.एस. नेहरा, जोनल मुख्य अभियंता (जयपुर) आर.के. जीनवाल तथा अधीक्षण अभियंता अशोक रावत सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

नेता प्रतिपक्ष का बयान आरक्षण विरोधी : मीणा

जयपुर। कांग्रेस प्रारम्भ से ही आरक्षण विरोधी रही है। यह बात नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयान से फिर साबित हुयी है। भाजपा प्रवक्ता पंकज मीणा ने कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू ने संसद के पटल पर कहा था कि वे सरकारी नौकरी में आरक्षण के खिलाफ हैं, उनके बाद इंदिरा गांधी के लगाकर राजीव गांधी और अब यही मंशा कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने अमेरिका में जा कर प्रकट की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के आरक्षण समाप्त करने के बयान का ही आज समर्थन करते हुए जूली ने भी आरक्षण समाप्त करने की बात कहकर आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डालने की मंशा जाहिर की है।

विकासकर्ता बताए, क्या काटे जाने वाले 617 पेड़ों की हो सकती है पुनर्स्थापना : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सांभर फुलेरा तहसील के हिरनोदा में रेलवे की गति शक्ति योजना के तहत मल्टी कार्गो टर्मिनल बनाने के लिए 565 खेजड़ी सहित कुल 617 पेड़ काटने की कार्रवाई शुरू करने के मामले में विकासकर्ता कंपनी से पूछा है कि क्या इन पेडों को किसी अन्य स्थान पर पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही अदालत ने कंपनी से संबंधित भूमि के स्वामित्व की जानकारी भी देने की कहा है। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश मेरीडियन फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि कंपनी की ओर से इन पेडों की काटने की एवज में तीन हजार से अधिक पौधारोपण किया है। इसके अलावा अदालत ने याचिकाकर्ता से भी कुछ सवाल-जवाब किए। इसके साथ ही अदालत ने विकासकर्ता कंपनी से जानकारी मांगते हुए प्रकरण की सुनवाई आगामी माह रखी है।

याचिका में अधिवक्ता अनुराग शर्मा ने बताया कि रेलवे की गति शक्ति योजना के तहत हिरनोदा में मल्टी कार्गो टर्मिनल बनाया जाना प्रस्तावित है। यह टर्मिनल हस्ती पेट्रो केमिकल एंड शिपिंग लि. की और से बनाया जा रहा है। जिस जमीन पर यह टर्मिनल बनाया जाएगा, वहां राज्य वृक्ष खेजड़ी के 565 सहित कुल 617 हरे पेड़ मौजूद हैं। इन्हें हटाने के लिए कंपनी की ओर से सांभरलेक के उपखंड अधिकारी की प्रार्थना पत्र पेश कर अनुमति मांगी गई। वहीं गत 4 जुलाई को एडीएम ने इन पेड़ों को काटने की सशर्त अनुमति दे दी। इसमें एक शर्त यह भी थी कि कंपनी काटे गए पेड़ों के बदले दस फीट ऊंचाई के पांच गुणा पेड़ लगाएगी। याचिका में कहा गया कि पेडू काटने की अनुमति देने से पहले ऐसा कोई विकल्प नहीं तलाशा गया, जिससे कम से कम पेड़ काटे जा सकते हो। इसके अलावा पेड़ काटने की अनुमति पांच गुणा यानी की 3085 पेड़ लगाने की शर्त पर दी गई थी। जबकि तहसीलदार ने 7 अगस्त को उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर कंपनी की ओर से पांच सौ पेड़ लगाने की जानकारी दी गई। याचिका में गुहार की गई कि पेड काटने के लिए दी गई एनओसी और प्रशासन की ओर से पेड़ काटने के लिए जारी नीलामी आदेश को रद्द किया जाए।

खोया पाया

मेरे भूखण्ड सं- डी/125 जे.डी.ए. की योजना देव विहार चाकसू जयपुर का जे.डी.ए. से जारी मूल कब्जा पत्र कही खो गया है सूचित करे- मोहन लाल सैनी मो.न. 7976107197

मेरे भूखण्ड सं. -56 निजी खातेदारी की योजना खुशी रेजीडेंसी ग्राम- नेवता जयपुर का मूल जे.डी.ए. पट्टा और स्टाम्प पेपर व साईट प्लान फोटोकॉपी करवाने जाते समय रास्ते मे कही गिर गये मिलने पर सूचित करे- निर्मला रानीवाला मो. नं. 9828113989

आम सूचना सर्वसाधारण को मेरे अभिभाष्य श्री राजेश भार्गव पुत्र स्व.श्री गोपाल नारायण भार्गव, निवासी- 170/171, नेमी नगर, बाबा मोहनदास आश्रम रोड, वैशाली नगर, जयपुर की ओर सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य के द्वारा मोहम्मद रमजान पुत्र स्व. श्री हाफिज सुलेमान, निवासी म.नं.-112, मयूर प्रिंटिंग प्रेस की गली, अजमेरी रोट, एम.आई. रोड, जयपुर की सम्पत्ति की एक यूनिट थर्ड फ्लोर मय छत व जीना, स्थित मकान मयूर प्रिंटिंग प्रेस की गली, अजमेरी रोट, एम.आई. रोड, जयपुर कुल क्षेत्रफल 56.24 वर्गमीटर व कवर्ड एरिया 224.58 वर्गफीट है, से क्रय किया जाना तय हुआ है, इसमे यदि किसी बैंक, व्यक्ति, वित्तीय संस्था या अन्य किसी को इतराज है तो सात दिवस मे मेरे अभिभाष्य अथवा मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में सूचित करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद किसी की भी आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी तथा जिसके लिये मेरा अभिभाष्य जिम्मेवार नही होगा। सूचित रहे।
(श्याम प्रताप सिंह) एडवोकेट, मो.-9829051877

सूचना आम सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अभिभाष्य गोपाल लाल जाट पुत्र स्व. श्री जगनाथ, जाति-जाट, उम्र-65 वर्ष, निवासी-रामपुरा ऊंती, वगरू, जिला जयपुर, राजस्थान का है एवं उसका पुत्र बलराम जाट उर्फ बादल जाट मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं है और ना ही मेरे अभिभाष्य की कोई बात मानता है और ना ही मेरे अभिभाष्य की सेवा-सुश्रुषा करता है, इसलिए मेरा अभिभाष्य अपने पुत्र बलराम जाट उर्फ बादल जाट को दिनांक 19.09.2024 से अपनी चल व अचल सम्पत्ति व अपनी निजी जिन्दगी से बेदखल कर दिया है। यदि कोई इससे किसी भी प्रकार का संव्यवहार करेगा तो वह उसका स्वयं जिम्मेदार होगा, सूचित हो।
जयपुर (रमेश चन्द जाजोरिया) एडवोकेट
दिनांक : 19.09.2024 मो. 9928344482

जलेब चौक पर कब्जे को लेकर ट्रस्ट को बेदखल करने पर रोक

जयपुर, (का.सं.)। जिला न्यायालय, महानगर प्रथम ने जलेब चौक की खाली जमीन से पूर्व राजपरिवार से जुड़े महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट को बेदखल करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि ट्रस्ट को वादग्रस्त भूमि का उपयोग व उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नहीं की जाए। अदालत ने यह आदेश महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि मामले में अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम 1 महानगर प्रथम के 6 अगस्त, 2022 के आदेश के अनुसार वादग्रस्त संपत्ति अपीलार्थी की होना बताया गया है। इसके अलावा अपीलार्थी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए इस संपत्ति से बेदखल नहीं करने और उपयोग व उपभोग में बाधा नहीं पहुंचाने के लिए पाबंद किया गया है। ऐसी स्थिति में यदि अपीलार्थी को बेदखल किया जाता है तो उसका अपील करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा और मामले में अनावश्यक पेचीदगियां पैदा हो जाएगी।

अपील में अधिवक्ता रमेश चन्द्र शर्मा ने कहा कि निचली अदालत ने आदेश जारी करने से पूर्व अतिरिक्त जिला न्यायालय की ओर से पूर्व में दिए आदेश का विधि सम्मत अवलोकन नहीं किया गया है। अतिरिक्त जिला न्यायालय पूर्व में ही संपत्ति से बेदखल नहीं करने और उसके उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने के लिए पाबंद कर चुका है। ऐसे में निचली अदालत को जिला न्यायालय के आदेश के विपरीत जाकर निर्णय देने का अधिकार नहीं था। ऐसे में निचली अदालत के आदेश को रद्द किया जाए। वहीं नगर निगम की ओर अधिवक्ता पुष्पेन्द्र भारद्वाज ने अदालत में पेश होकर जवाब देने के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने अपीलार्थी ट्रस्ट को बेदखल करने पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि ट्रस्ट ने वर्ष 1994 में निचली अदालत में दावा पेश कर कहा था कि उसने अपने स्वामित्व की जलेब चौक की खाली जमीन को लाइसेंस पद्धित परं आवेदकों को जगह दे रखी है। जहां आवेदक थडी और टीनशेड लगाकर रोजगार कर रहे हैं। नगर निगम के कर्मचारियों ने 29 जून, 1994 को इन थडियों और टीन शेड को हटाना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी मिलने पर ट्रस्ट ने अपने चौकीदार नियुक्त कर दिए, ताकि निगम मौके पर कब्जा ना कर सके। दावे में गुहार की गई की निगम को पाबंद किया जाए कि वह मौके पर कब्जा ना करे और उसे बेदखल नहीं करे। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ट्रस्ट के दावे को खारिज कर दिया था।

उपराष्ट्रपति को पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए : डोटासरा

जयपुर, (का.प्र.)। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू सहित बीजेपी और सहयोगी दलों की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जयपुर के शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित पार्टी विधायक और सांसद शामिल हुए। इस मौके पर गोविंद सिंह डोटासरा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से दिए बयानो को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति को संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए।

डोटासरा ने उपराष्ट्रपति के बयान को लेकर कहा कि मैंने एक वीडियो देखा, जिसमें उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आने के बाद हरियाणा में ईमानदारी से भर्तियां हो रही हैं, जबकि इससे पहले पर्ची के माध्यम से भर्तियां हुआ करती थी। उपराष्ट्रपति को संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और अगर गरिमा नहीं बना पाते हैं, तो हम कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे।

'समाज की अनदेखी करने वालों को सबक सिखाएं'

जयपुर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा विदेशी धरती पर भारत में आरक्षण को समाप्त किए जाने संबंधित बयान का कांग्रेस के राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं द्वारा बचाव किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि आरक्षण से छेड़छाड़ के राहुल गांधी के मंसूबों को अपने लाभ के लिए जुली सहित कांग्रेस के नेता छुपा रहे हैं। दुर्भाग्य है कि वे अपने लाभ के लिए अपने ही समाज को दरकिनार कर आरक्षण के हक से खिलवाड़ करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो अपने व्यक्तिगत हितों के लिए अपने नेता की झूठी जयकार के लिए समाज की अनदेखी करते है ऐसे लोगों को समाज सबक सिखाएं।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कार्यालय उपायुक्त (विद्याधर जोन) नगर निगम ग्रेटर जयपुर
(अम्बाबाड़ी सामुदायिक केन्द्र, अम्बाबाड़ी सर्किल, जयपुर)
क्रमांक: एफ.55()वि. जोन/न.नि.ज(ग्रे)/2024/1806 दिनांक:18.09.2024
सार्वजनिक सूचना
भूखण्ड संख्या 91, श्री राम नगर (संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती प्रेम देवी यादव पत्नी श्री रामसतन यादव को क्षेत्रफल 223.3 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्री सांवरमल सोनी पुत्र श्री सत्यनारायण सोनी द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी। **उपायुक्त विद्याधर नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर**

आम सूचना सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण, मनोहर लाल पुत्र श्री नाथुलाल 75 वर्ष व श्रीमति हीरा देवी पत्नी श्री मनोहर लाल 59 वर्ष, R/o-WZ-359A गली नम्बर 16, साध नगर, पालम कॉलोनी, साउथ वेस्ट दिल्ली-110045 व 101, रोहणी विहार, सरना डूगर, खोरा विसल, जयपुर के पुत्र गोविन्द उर्फ पवन, मेरे अभिभाष्यगण के कहने में नहीं हैं और गोविन्द उर्फ पवन जो अविवाहित है वह काफी वर्षों से शराब व नशा करके मेरे अभिभाष्यगण के साथ गाली गलौच कर मारपीट करता है तथा मेरे अभिभाष्यगण की सेवा सुश्रुषा नही करता है और मेरे अभिभाष्यगण को उनका पुत्र गोविन्द उर्फ पवन कोई भी क्षति पहुंचा सकता है। इस कारण मेरे अभिभाष्यगण ने पुत्र गोविन्द उर्फ पवन से समस्त रिश्ते खत्म कर उसको अपनी चल व अचल सम्पत्ति से वंचित व बेदखल कर दिया है। यदि कोई इन दोनों से लेन-देन करता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरे अभिभाष्यगण की नही होगी।
जयपुर (महेश कुमार वर्मा) एडवोकेट
दिनांक:12.9.24 मो.-9261009000

नाम परिवर्तन

मैं अबरार खान पुत्र श्री इसरार खान/ निवासी 52, नानगी का चौराहा बास बदनपुरा, जयपुर ने अबरार अहमद से बदलकर अबरार खान रख लिया है। मुझे भविष्य में अबरार खान के नाम से ही जाना जाये। 6377500829

मैंने अपना नाम मंजू अग्रवाल से बदलकर मंजू देवी अग्रवाल पत्नी लालचंद अग्रवाल रख लिया है, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए। निवासी- मकान नं.- 831, अहिंसा मार्ग राम मंदिर जयपुर (राज.)

में आर्मी नं. 2700950N Hav Sandesh Kumar Yadav of UNIT 24 GRENADIERS मेरे सैन्य दस्तावेज में मेरे पिता का नाम Prem Narayan Singh Yadav है जो कि गलत है मेरे पिता का सही नाम Premnarayan है।

में आर्मी नं 2700950N Hav Sandesh Kumar Yadav of UNIT 24 GRENADIERS मेरे सैन्य दस्तावेज में मेरी माता का नाम Sukh Devi है जो कि गलत है मेरी माता का सही नाम Sukha है।

मैनें अपना नाम ब्रिजेश कुमार पटेल से बदल कर ब्रिजेश पटेल पुत्र श्री बाल किशन पटेल निवासी सी- 169-170, फ्लैट नं. जी-2, स्वेना गोकुल अपार्टमेन्ट, सुन्दर मार्ग, तिलक नगर, जयपुर रख लिया है भविष्य में मुझे ब्रिजेश पटेल के नाम से जाना पहचाना जावें।

I Shishram Shivarayan S/o Annaram Jat R/o Sisiyan, PO-Shinshiya, Dist-Jhunjhunun, Rajasthan - 333001, have changed my name to Shishram Shivrayan.

I Devendra Kumar Sain S/o MadanlalSain Residing at 29, Vishnu Garden Colony, Tonk Road, Sanganer, Jaipur. I have changed my Daughter name from Raunak Sain to ChhavishaSain for all future Purposes.

I Neelam Kumari shekhawat W/o parmendra singh rathore R/o 180 bhartendu nagar khatipura jaipur that my son parakram singh rathore admission time my name is Neelam kanwar is wrong entered but my correct name is Neelam Kumari shekhawat (on behalf pan card/ aadhar card) in future called me NEELAM KUMARI SHEKHAWAT for all purposes

प्रपत्र-5 नियम 6 (2) देखिए
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी
नगर पालिका मण्डल जोबनेर जयपुर
सं.: 1033 दिनांक:- 18/9/24
लोक सूचना श्री अमित कुमार पुत्र श्री मदन लाल, निवासी- श्वेताम्बर मन्दिर के पास, जोबनेर तहसील-जोबनेर जिला-जयपुर ने नीचे वर्णित भूमि मे के अपने अधिकार को आवासीय के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगर पालिका पक्ष में अभ्यर्थित कर दिये है। अर्थात :-
जिले सहित नगर का नाम-हेडरा, जोबनेर-जोबनेर जिला-जयपुर, ग्राम का नाम-राजस्व ग्राम हेडरा, जोबनेर तहसील जोबनेर जिला-जयपुर, खसरा न.-2479/1735, क्षेत्र-205.20 वर्गमीटर को आवासीय
इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिभूमि अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन प्रदत्त प्रयोजनो के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिभूमि अधिकारी के निर्णयन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज को जारी की गयी।
अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका जोबनेर

नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
(पं.दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर)
(आयोजना प्रकोष्ठ)
क्रमांक-एफ13()उपा.आयोजना/जननि/2024/452
सार्वजनिक विज्ञप्ति दिनांक-19/09/24
विषय-राजस्थान नगर पालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम 2010 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति।
नगर निगम, जयपुर में निम्न वर्णित भूखण्ड धारक ने कॉलम 4 में वर्णित मास्टर विकास योजना 2025 (जयपुर रीजन) में निर्धारित भू-उपयोग का कॉलम 5 में वर्णित भू-उपयोग हेतु आवेदन किया है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है-
क्र. सं.-1, आवेदक का नाम, भूखण्ड संख्या योजना का नाम- श्री प्रमोद कुमार वर्मा पुत्र श्री गुलाब चंद भू.सं.80/97, माध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, **भूखण्ड का क्षेत्रफल व उपयोग-** 162.00 व.मी. (आवासीय), **मास्टर प्लान (2025) अनुसार भू-उपयोग-**मिश्रित, **आवेदक द्वारा चाहा गया भू-उपयोग-**मिश्रित
यदि किसी व्यक्ति/संस्था को उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध मे कोई आपत्ति/सुझाव हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की अवधि तक अपनी आपत्ति/सुझाव कारणों सहित नगर निगम ग्रेट, जयपुर के आयोजना शाखा मे प्रस्तुत कर सकते है।
(रूकमणी रियाड़) (IAS) आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर:DEV/JAIPUR-II/TRUST/2024/34
चूंकि प्रार्थी श्री राजन मल्होत्रा, 2 केए 15 प्रताप नगर अलवर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास सेवा भारती समिति अलवर, केशव कृपा कुश मार्ग अलवर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 03-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 14/11/2024
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 70/2024
चूंकि श्री एस.एन. कुमावत ने पंजीकृत प्रन्यास श्री कुमावत शिक्षा कोष ट्रस्ट 32, गंगवाल पार्क, जयपुर कार्यालय का नवीन पता सुकेसर 29, बरकत नगर गली नम्बर 17, आदर्श बाजार जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 32 जयपुर 2004 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत श्री भागीरथ शर्मा व श्री मालीराम वर्मा का स्वर्गवास होने तथा नवीन प्रन्यासियों की नियुक्ति तथा प्रन्यास का कार्यालय का नवीन पता सुकेसर 29, बरकत नगर, गली नम्बर 17, आदर्श बाजार जयपुर का उक्त संशोधन प्रन्यास अभिलेख में दर्ज रिकार्ड कराने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुए परिवर्तन / संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 18/9/24को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी गया।
आइदा तारीख पेशी 24/10/24
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम), देवस्थान विभाग, जयपुर

आम सूचना यह कि मेरे अभिभाष्य ने विमल कुमार अग्रवाल पुत्र राधेश्याम अग्रवाल निवासी प्लाट नम्बर 55, गीता पथ, सूरज नगर वेस्ट, सिविल लाईन्स, जयपुर से स्वामित्व व अधिकार की सम्पत्ति प्लाट नम्बर बी-62, बस्सी सीतारामपुरा, नेहरू नगर, पानीपेच, झोटवाड़ा रोड, जयपुर को जरिये इकरारनामा खरीद करना तैय रखा है। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था, समिति इत्यादि को उक्त सम्पत्ति मेरे अभिभाष्य द्वारा उक्त पक्षकार से क्रय किये जाने बाबत किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति, आक्षेप इत्यादि हो तो वह मय सबूत मुझसे उक्त आम सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिवस की अवधि के अंतर्गत संपर्क करे, बाद मियाद गुजरने पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा मेरे अभिभाष्य द्वारा उक्त सम्पत्ति का विक्रय पत्र का पंजीयन करा लिया जायेगा।
Mo.N.9351223622 9928134064
निर्मल शर्मा, एडवोकेट

**जयपुर विकास